भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †4042
दिनांक 12.08.2026 को उत्तर देने के लिए

लघु खनिज के रूप में लेटेराइट

†4042. श्री बालाशौरी वल्लभनेनीः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में 20 प्रतिशत से अधिक एल्युमिनियम युक्त लेटेराइट को बॉक्साइट और एक प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसके परिणामस्वरूप यह खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम के अंतर्गत आ गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उपरोक्त वर्गीकरण पत्र जारी होने से पहले लेटेराइट एक लघु खनिज था और यदि हाँ, तो वर्गीकरण बदलने के क्या कारण हैं;
(ग) क्या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कोई पत्र लिखा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और
(घ) क्या जब अभ्रक, क्वाट्र्ज, फेल्डस्पार और वैराइट्स खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया था, तब एक संक्रमण अवधि निधारित की गई थी और यदि हाँ, तो लेटेराइट के मामले में इसका पालन क्यों नहीं किया गया है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चंद्र दुबे)

(क) और (ख): विभिन्न खनिजों के लिए मूल्य सीमा भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 के नियम 12(6) के अनुसार दिनांक 25.04.2018 को अधिसूचित किए गए थे। आईबीएम की दिनांक 25.04.2018 की अधिसूचना के अनुसार, बॉक्साइट के लिए मूल्य सीमा निम्नलिखित हैं: (i) एल्युमिनस लेटराइट: Al_2O_3 – 20% (न्यूनतम), और (ii) बॉक्साइट: Al_2O_3 – 30% (न्यूनतम) तथा SiO_2 (कुल) – 7.0% (अधिकतम)।

केंद्र सरकार ने हाल के समय में लेटेराइट के वर्गीकरण में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

(ग): जी, हां। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में दिनांक 26.05.2026 को एक पत्र लिखा था। केंद्र सरकार ने मामले की विधिवत जांच करने के पश्चात दिनांक 03.07.2026 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को उत्तर भेजकर सूचित किया है कि खान मंत्रालय ने लेटेराइट खनिज के संबंध में कोई नई नीति निर्धारित नहीं की है।

(घ): चूंकि लेटेराइट खनिज के वर्गीकरण में अभ्रक, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और बैराइट्स के विपरीत कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए संक्रमण अवधि दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।
